अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

05
16.01.2024

न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, रॉची

सी0 सी0 ए0 वाद सं0 134 / 2023

राज्य

बनाम

मो० एजाज अंसारी पिता नेजाम अंसारी निवासी लेम बड़गाई, थाना सदर, जिला राँची ..... विपक्षी

आदेश

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 2529 / डी०सी०बी० दिनांक 23.11.2023 द्वारा सक्रिय जमीन दलाल मो० एजाज अंसारी पिता नेजाम अंसारी निवासी लेम बड़गाई, थाना सदर, जिला राँची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(a)(b)(i)(ii) के अन्तर्गत जिला बद्र / निर्वासन करने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित हैः–

1. सदर थाना कांड संख्या 107 / 14 दिनांक 08.03.2014 धारा–406 / 420 / 34 भा0द0वि0
2. सदर थाना कांड संख्या 240 / 17 दिनांक 07.06.2020 धारा 406 / 420 भा०द०वि०
3. सदर थाना कांड संख्या 579 / 21 दिनांक 23.12.2021 धारा 147 / 149 / 341 / 323 / 447 / 427 / 384 / 386 / 379 भा०द०वि०
4. जगरनाथपुर थाना काण्ड संख्या– 262 / 16, दिनांक 03.08.2016, धारा–420 / 406 / 86 / 504 / 34 भा0द0वि0
5. सदर थाना सनहा सं० 21 / 2023 दिनांक 12.09.2023
6. सदर थाना सनहा सं० 20 / 2023 दिनांक 13.09.2023

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि पुलिस उपाधीक्षक, सदर, रॉची के कार्यालय का ज्ञापांक–2181 / 23,

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

दिनांक–08.11.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि मो० एजाज अंसारी पिता नेजाम अंसारी निवासी लेम बड़गाई, थाना सदर, जिला राँची एक दबंग भू–माफिया है। विपक्षी क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने के सांथ ही पेशेवर अपराधकर्मी से सांठ–गांठ से आदिवासियों का भूमि एवं मूल जमीन मालिको की भूमि को कब्जा करने एवं धमकाने में अपराधियों को इस्तेमाल करते है। ये बिक्री किया हुआ जमीन में जान बुझकर विवाद उत्पन्न करते है तथा विवाद खत्म करने का भयदोहन करते है। ये हमेशा मारपीट कर माहौल को अस्थिर करने में आमदा रहते है जो समाज के लिए खतरनाक है तथा गवाहो को अपने विरूद्ध गवाही देने पर बुरा अंजाम देने की धमकी देते है। वर्तमान में अन्य कांडो में माननीय न्यायालय से जमानत में मुक्त है। इनकी अपराधिक गतिविधियो से आम जनता मे आतंक एवं दहशत है। विपक्षी के अपराधिक घटनाओं में शामिल देखने के बावजूद भी संबंधित कांडो के पीड़ित, गवाह एवं अन्य लोग विषयांकित अपराधी को नामजद करते हुए प्राथमिकी अंकित कराने या उसके खिलाफ गवाही देने अथवा उसका नाम पुलिस को बताने के लिए तैयार नही होते है। फलस्वरूप कई अपराधिक घटनाओ मे शामिल रहने के बावजूद भी संबंधित क्रांडो मे इसका अभियुक्तिकरण नही हो पाया है। इनके द्वारा बिक्री हुआ जामीन को धोखधड़ी करके बिक्री करते है। इनके अपराधिक गतिविधियों में आम जनता में भय, दहशत एवं आतंक व्याप्त हो जाता है जिससे लोग शांति एवं विधि व्यवस्था पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे जिला बद्र/निर्वासन संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a) (b)(i)(ii) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी के अनुसार उनके खिलाफ दर्ज मामलो मे से सदर थाना कांड सं० 107/2014 से उत्पन्न जी० आर० 1399/2014, सदर थाना कांड सं० 240/2017 से उत्पन्न जी० आर० कांड सं० 2431/2017 एवं जगरनाथपुर थाना कांड सं० 262/2016 मे विपक्षी का सूचक के साथ सुलह हो गई है । सुलह के आधार पर माननीय न्यायालय के द्वारा सदर थाना कांड सं० 107/2014 से उत्पन्न जी० आर० 1399/2014, सदर थाना कांड सं० 240/2017 से उत्पन्न जी० आर० कांड सं० 2431/2017 का निश्पादन करते हुए विपक्षी को दोषमुक्त

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

करार दिया गया है। जगरनाथपुर थाना कांड सं० 262/2016 मे विपक्षी का सूचक के साथ सुलह होने के कारण उन्हे माननीय न्यायालय के द्वारा जमानत प्रदान किया गया है। विपक्षी के खिलाफ दर्ज अन्य मामलो मे से सदर थाना कांड सं० 579/21 मे पुलिस के द्वारा साक्ष्य की कमी दर्शाते हुए अंतिम प्रतिवेदन सं० 530/23 दाखिल किया गया है। पुलिस के द्वारा विपक्षी के खिलाफ झुठे एवं बेबुनियाद तथ्य के आधार पर सनहा दर्ज किया गया है।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी के खिलाफ दर्ज लगभग सभी मामलो मे सुलह हो गई है या साक्ष्य की कमी दर्शाते हुए अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। विपक्षी के खिलाफ दर्ज लगभग सभी मामले दिवानी प्रकृति के प्रतीत होते है। प्रार्थी के द्वारा विपक्षी के खिलाफ झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–धारा–3(a)(b)(i)(ii) के अन्तर्गत कार्रवाई करने का कोई ठोस आधार प्रस्तुत नही किया गया है। अतः उपरोक्त आधार पर प्रस्तुत वाद की कार्रवाई संधाणीय नही है एवं इसलिए इस वाद की कार्रवाई बिना किसी प्रतिकूल आदेश के समाप्त की जाती है।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति मो० एजाज अंसारी पिता नेजाम अंसारी निवासी लेम बड़गाँई, थाना सदर, जिला राँची तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी
राँची

जिला दण्डाधिकारी
राँची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2024.02.05 22:28:09 -08:00
Location: 192.168.1.4